कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
Tel: - 0771-2221371 , 2221656, E-mail : cg_encphedcg@nic-in

//"विज्ञापन"//

कमांक 1997 **/त.शा.–2/F-116–2023–24/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2023 अटल नगर, दिनांक** 04/05/23

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल, मुम्बई के निर्देशानुसार अप्रेंटिश ,एक्ट 1961 (यथा संशोधित) अंतर्गत दशम बैच हेतु नीचे दर्शित ट्रेड में एक वर्ष की अवधि के लिए, व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित है।

आवेदन की अंतिम तिथि 31.05.2023 (रात्रि 11:59 बजे तक)

कं.	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षुओं की निर्धारित संख्या विभाग के लिये	शैक्षणिक योग्यता	छात्रवृत्ति प्रतिमाह रूपये में	प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र	टीप
1.	सिविल इंजीनियरिंग	डिप्लोमा– 11 डिग्री– 11	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा ।	डिप्लोमा–8000.00 डिग्री–9000.00	निकटतम जिला मुख्यालय	शासन के निर्देशानुसार अ.जा. हेतु 12 प्रतिशत, अ.ज.जा. हेतु 32 प्रतिशत एवं अ.पि.व. हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा।
2.	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	डिप्लोमा– 05 डिग्री– 05	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री/ डिप्लोमा ।	डिप्लोमा–8000.00 डिग्री–9000.00	निकटतम जिला मुख्यालय	
3.	मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट	डिप्लोमा– 22	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट में डिप्लोमा	डिप्लोमा–8000.00	इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर एवं विभाग के अन्य कार्यालयों के लिए।	
	कुल	54				

आवश्यक जानकारियां :–

1. इच्छुक अभ्यर्थी **दिनांक 10.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से 31.05.2023 (रात्रि 11:59 तक) की समयावधि में** ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक को भारत शासन की वेबसाईट www.mhrdnats.gov.in पर इन्रोल करना आवश्यक होगा बिना इन्रोलमेंट के आवेदन नही किया जा सकेगा।
3. अप्रेंटिश एक्ट 1961 (यथासंशोधित) पर संक्षिप्त विवरण के लिए विभाग की विभागीय वेबसाईट www.phed.cg.gov.in का अवलोकन करें। विस्तृत विवरण भारत सरकार की वेबसाईट www.apprentice.engineer.com पर देखी जा सकती है।
4. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने की तिथि से ज्वांइन करने तक 03 वर्ष से अधिक अंतराल होने की स्थिति में आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।
5. शिक्षु प्रशिक्षण मंडल मुम्बई के पत्र कमांक 13294 दिनांक 08.10.2001 अप्रेंटिश एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण उपरांत विभाग नियुक्ति देने हेतु बाध्य नहीं रहेगा तथा इस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. छात्रवृत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ प्रशिक्षुओं को देय नहीं होगा।
7. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश, 15 मेडिकल अवकाश ही प्रदान किये जायेंगे, इनके अतिरिक्त समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
8. प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, त्याग पत्र के मान्य कारण (i) गंभीर बीमारी (ii) उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश (iii) किसी विभाग में नियुक्ति होने पर निर्धारित है। बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु को 03 माह की छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।
9. सफलता पूर्वक लगातार 01 वर्ष तक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर अप्रेंटिसशिप के क्षेत्रीय निर्देशक मुम्बई द्वारा स्थाई प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा एवं अस्थाई प्रमाण पत्र संबंधित प्रशिक्षण कार्यालय से लिया जा सकेगा।
10. ऐसे आवेदक जो पूर्व में अप्रेंटिश ,एक्ट 1961 का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे इस प्रशिक्षण में पुनः शामिल नहीं किये जावेंगे।
11. पर्याप्त संख्या में डिग्री या डिप्लोमा के आवेदक नहीं मिलने पर संख्या परस्पर उसी ट्रेड अथवा अन्य ट्रेड में समायोजित की जायेगी।
12. प्रत्येक ट्रेड हेतु अंतिम सेमेस्टर/अंतिम वार्षिक परीक्षा के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व) अलग–अलग बनाई जायेगी। जिनके आधार पर चयन किया जावेगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के फलस्वरूप एवं अन्य कारणों से रिक्त होने वाली सीटों के फलस्वरूप उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जावेगी।
13. ऑनलाईन आवेदन के लिये आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क देय नही है।
14. वित्तीय वर्ष 2023–24 विभागीय बजट मे प्रावधानित राशि अनुसार प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित कर चयन की प्रकिया की जा रही है। पश्चात मे राज्य शासन से अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने पर प्रशिक्षुओं के संख्या में अनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी, जिनका चयन प्रतिक्षा सूची से किया जा सकेगा।
15. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
16. आवेदक आवेदन फार्म मे वांछित समस्त प्रमाण पत्रों एवं फोटोग्राफ्स निर्धारित मापदंड अनुसार अपलोड करें।

(डॉ. एम.एल.अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर